6/3/2017

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री गोविंद रोहलोत उप०। वकील अप्रार्थी सं० 2 श्री कुबासिंह चारण ने दलील दी कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रकरण इसी न्यायालय द्वारा निर्णित किया जा चुका है, जिससे पुनः इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही की जाना विधि सम्मत नहीं है। वकील प्रार्थी श्री गोविंद रोहलोत का कहना है कि उक्त प्रार्थी ने पूर्व में वह तथ्य नहीं बताये। जिससे इनके द्वारा उक्त दुरुस्ती का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पत्रावली व उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन व उभय

पक्ष अधिवक्ता को सुनने के पश्चात
प्रकरण में जाहिर है कि इसी भूमि बाबत
पूर्व प्रकरण सं. 148/96 कस्तूरा/सरकार
अंतर्गत धारा 136 LR Act दिनांक
30-1-2003 को खारिज किया जा
चुका है। इस प्रकार इसी न्यायालय
द्वारा पूर्व में निर्णित प्रकरण के संबंध
में पुनः इसी न्यायालय द्वारा किसी
प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं
होने से प्रस्तुत पत्रावली अंतर्गत
धारा 136 LR Act खारिज
किया जाता है। मिसल मियाद
शुमार होकर नंबर से कम हो।

उप - खण्ड अधिकारी, बाली